संख्या-15 /32भा0स0/का-2/2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 27 नवम्बर, 2015

विषय पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पूर्व में पदोन्नत कर्मियों को कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनॉक 21-08-2015 एवं 22-09-2015 के अनुसार ही पदावनत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-12/4/1/2002टीसी-1-का-2/2015, दिनॉक 29 अक्टूबर, 2015 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

2 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश की व्यवस्थानुसार कार्यवाही करने हेतु अपने अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, प्राधिकरणों तथा परिषदों व इन्हीं के समान अन्य संगठनों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in